संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./ 2013 / -5 84. भोपाल, दिनांक 22/07/2013

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रेरणा अभियान के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– विषय से संबंधित ई–मेल दिनांक 19/07/2013 ।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में ''प्रेरणा दिवस'' से संबंधित निम्न निर्देशों का भी अनिवार्य रूप से पालन करें।

स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित कर शासन की सभी निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं यथाः–

1. निःशुल्क दवा एवं उपचार,
2. निःशुल्क जांच,
3. निःशुल्क परिवहन,
4. निःशुल्क टी.बी. का इलाज डॉट्स के माध्यम से,
5. निःशुल्क कुष्ठ का उपचार एम.डी.टी. के माध्यम से,
6. निःशुल्क मोतियाबिंद का उपचार ऑपरेशन के माध्यम से,
7. निःशुल्क मलेरिया, फायलेरिया , डेंगू, चिकिनगुनिया का उपचार उपयुक्त उपचार के माध्यम से,
8. निःशुल्क परिवार कल्याण सेवायें:– स्थायी उपाय– पुरूष एवं महिला परिवार कल्याण ऑपरेशन के माध्यम से

   अस्थायी साधन :– निरोध, गर्भनिरोधक गोलियां एवं आई.यू.सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध है,

यह जानकारी सभी ग्रामवासियों को दी जाये,

उपरोक्त के अलावा सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। पोस्टर बैनर आदि का भरपूर उपयोग किया जाये।

परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों हेतु उपयुक्त लक्ष्यदंपत्तियों को प्रेरित किया जाये।

सभी जिला अस्पताल , सभी सिविल अस्पताल एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी इसी दिन बैठकों का आयोजन किया जाये, जिसमें आम जनता के साथ–साथ सभी चिकित्सक भी शामिल हों एवं जिले में चल रही इन योजनाओं के सफल कियान्वयन के लिये कार्ययोजना तैयार की जाये।

कृपया सुनिश्चित करें कि दिनांक 23/07/2013 तक उपरोक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की तैयारी के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई–मेल से अवगत करायें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक माह की 25 तारीख को प्रेरणा दिवस आयोजित कर सभी गतिविधियां सम्पन्न की जायें।

22/7/13

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक,
परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3 / प.क. / 2013 /　　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक　/　/2013

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य ,आयुक्त, मध्यप्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सदस्य एस.पी.एम.यू., स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी–2 (प्रभारी परिवार कल्याण) , मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एवं समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

संचालक
परिवार कल्याण

२

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./ 2013 / 578 भोपाल, दिनांक 19/7/13

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रेरणा अभियान के संबंध में दिशा निर्देश।

विषयांतर्गत प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18/07/2013 को प्रेरणा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमुख सचिव द्वारा प्रेरणा अभियान के कियान्वयन के संबंध में प्रदान किये गये दिशा निर्देश निम्न हैं:–

1. **प्रेरणा अभियान के कियान्वयन के निर्देशः–** प्रेरणा अभियान के अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी साधनों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जायेगी। निर्धारित फार्मेट संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किये जा रहे हैं। पूर्व में प्रेषित सभी फार्मेट निरस्त करते हुये निम्न फार्मेट में जानकारी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रेरणा अभियान के नोडल ऑफीसर डी.एच.ओ. 2 होंगे। सभी जिले के नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर familywelfare7@gmail.com पर प्रेषित करें जिससे प्रेरणा अभियान के कियान्वयन के संबंध में नोडल अधिकारी से प्रतिदिन संपर्क किया जा सके एवं नोडल अधिकारी द्वारा कार्यकम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जावे एवं राज्य निर्धारित प्रपत्र प्रतिदिन राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रेरणा अभियान के समस्त साधनों हेतु 30 सितम्बर 2013 तक 40 प्रतिशत् सेवा आवश्यकता पूर्ण की जानी है। अतः कार्यकम के कियान्वयन हेतु ग्राम स्तर तक गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जायें।

4. परिवार कल्याण ऑपरेशन, आई.यू.डी. , ओरल पिल्स, कण्डोम के हितग्राहियों की लाईन लिस्टिंग आवश्यक रूप से संधारित की जाये। इससे गलत (फाल्स रिपोर्टिंग) रिपोर्टिंग नही होगी।

5. **परिवार कल्याण सहायता केन्द्रः–** सभी जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार कल्याण सहायता केन्द्र स्थापित किये जायें। इस केन्द्र में परिवार नियोजन के सभी साधनों हेतु काउंसलिंग की व्यवस्था की जाये एवं एम. पी.डब्ल्यू./ ए.एन.एम./ स्टॉफ नर्स / एल.एच.व्ही./ आशा सहयोगिनी/ यशोदा/ बी.ई.ई./ एम.ई.आई.ओ. एवं परिवार कल्याण मद से जिन वर्ग के कर्मचारियों का वेतन अहरित किया जाता है उन सभी कर्मचारियों से प्रेरणा अभियान के कियान्वयन का कार्य लिया जाये एवं इन्ही कर्मचारियों में से चयन कर कुछ कर्मचारियों से काउंसलिंग का कार्य भी लिया जाये। प्रतिदिन 50 नये हितग्राहियों को प्रेरित किया जाये। निःशुल्क वितरण हेतु ओरल पिल्स, कण्डोम सामग्री उपलब्ध रहे। परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु संस्था में आयोजित फिक्स डे सेवा प्रदायगी की जानकारी हितग्राही को दी जाये एवं उन्हे सेवा प्रदायगी हेतु उक्त दिवस पर बुलाया जाये। प्रेरणा दिवस मनाये जाने हेतु मुख्य गतिविधियां जैसे जनता के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यकम आयोजित किये जायें, प्रेरणा अभियान के साधनों की जानकारी जनता के मध्य प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की जाये।

6. कॉर्नर पर पैंप्लेट भी रखे जायें, जो सामग्री के साथ वितरित किये जायें। आशय यह है कि परिवार कल्याण के साधनों का बास्केट ऑफ च्वाइस हितग्राही के समक्ष बताना होगा जिससे वो अपनी इच्छानुसार परिवार कल्याण का साधन उपयोग कर सकें। अपने साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु सेम्पल अपनी ओर से ही जनता के मध्य प्रदाय किये जायें।

7. प्रेरणा अभियान में प्रतिदिन मॉनिटरिंग का कार्य राज्यस्तरीय एस.पी.एम.यू. यूनिट द्वारा किया जायेगा।

8. प्रेरणा अभियान में जिला स्तर पर , डी.पी.एम.यू. यूनिट प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगी।

9. सभी लेप्रोस्कोप आवश्यकतानुसार रिपेयर/सर्विसिंग करवा लिये जायें।

10. 15 अगस्त से 30 सितम्बर के बीच प्रेरणा अभियान के हितग्राहियों का सत्यापन /ऑडिट द्वारा करवाया जायेगा। अतः अपने जिले में लाईन लिस्टिंग पूरा करें।

11. **प्रोटोकॉलः–** परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। परिवार कल्याण ऑपरेशन कैंप हेतु कैंप प्रभारी चिकित्सक प्रोटोकॉल पालन हेतु जिम्मेदार होंगे। प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशन केम्प प्रभारी के समक्ष एवं देख रेख में किया जाये। आई.व्ही प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशन सर्जन के समक्ष दिया जाये।

12. **प्रेरणा दिवसः—** दिनांक 25 जुलाई 2013 को सभी ग्राम आरोग्य केन्द्रों में प्रेरणा दिवस का आयोजन किया जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर, सेक्टर स्तर, ग्राम आरोग्य केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की जाये एवं प्रेरणा अभियान के संबंध में चर्चा की जाये। प्रेरणा दिवस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किये जायें। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित पुरस्कार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदाय करें।

13. **वित्तीय प्रगतिः—** प्रेरणा अभियान का वित्तीय व्यय भी 30 सितम्बर तक 40 प्रतिशत किये जाने के प्रयास करें। भौतिक प्रगति के साथ–साथ वित्तीय प्रगति भी एफ.एम.आई. एस. में दर्ज करें।

14. **ट्रेनिंगः—** नये सेवा प्रदायकर्ता तैयार करने हेतु आप अपने जिलों से एल.टी.टी./एन.एस. व्ही. एवं आई.यू.डी. की ट्रेनिंग चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को करवायें। जिससे आपके जिले के सभी क्षेत्रों में सेवा प्रदायकर्ता उपलब्ध हों।

15. **आई.ई.सी. गतिविधियांः—** प्रेरणा अभियान के अंतर्गत जिलों में आई.ई.सी. गतिविधियां व्यापक रूप से की जायें।

- जनसामान्य में जागरूकता हेतु माईकिंग करवाई जावे।
- आकाशवाणी दूरदर्शन तथा निजी एफ.एम.चैनल्स पर जिंगल्स एवं फोन इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाये।
- नगर के प्रमुख मार्गों के रोड डिवाइडरों पर लगे बिजली के खंभों पर कियोस लगाये जायें।
- नगर के प्रमुख मार्गों, चौराहों पर होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाये।
- फ्लैक्स बैनर बनवाकर प्रमुख स्थलों पर लगवाये जायें।
- कागज के पोस्टर्स बनवाकर प्रमुख स्थलों पर लगवाये जायें।

19/7/13
(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक,
परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./ 2013 / **भोपाल, दिनांक / /2013**

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य ,आयुक्त, मध्यप्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक आफ इंडिया बिलिडिंग, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।

संचालक 19/7/13
परिवार कल्याण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / प.क. / 2013 / भोपाल दिनांकः

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   मध्यप्रदेश
3. जिला स्वास्थ्य अधिकारी क्र. 2 / परिवार कल्याण (प्रेरणा अभियान) अधिकारी

विषयः— प्रेरणा अभियान (परिवार कल्याण कार्यक्रम) के अंतर्गत वर्ष 2013—14 की कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

***

विषयांतर्गत लेख है कि प्रेरणा अभियान (परिवार कल्याण कार्यक्रम) के अंतर्गत वर्ष 2013—14 की कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु परिपत्र 01 एवं परिपत्र 02 (संलग्न) के साथ निम्न गतिविधियां भी सुनिश्चित करें।

- परिवार कल्याण ऑपरेशन को जननी सुरक्षा योजना से लिंकअप किया जायें एवं हितग्राही को प्रेरित किया जायें की प्रसव के उपरांत परिवार कल्याण ऑपरेशन कराने पर हितग्राही दोनो योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। (जे.एस.वाय. — शहरी क्षेत्र में 1000/— रूपयें एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1400/— और महिला ऑपरेशन पर 600/— रूपयें) देय होगा। इस प्रकार हितग्राही को एक पैकेज के रूप में जननी सुरक्षा योजना एवं परिवार कल्याण दोनो की राशि ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 2000/— एवं शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 1600/— रूपयें देय होगा। इस गतिविधि में प्रेरित करने वाले आशा/ए. एन.एम./स्टाफ नर्स को प्रेरणा के लिये प्रोत्साहन राशि भी देय होगी। गर्भवती महिला के गर्भ के पंजीयन साथ ही पूरे 9 माह प्रसव पूर्व की सेवाओं के दौरान महिला को प्रेरित करने की कार्यवाही की जायें।
- विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2013 को गतवर्ष बचे हुये प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित किये जायें।

संलग्नः— परिपत्र संख्या — 2

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक, परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / प.क. / 2013 / 473 भोपाल दिनांकः 10-6-2013

प्रतिलिपि— सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक / संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

संचालक, परिवार कल्याण 7/6/13
मध्यप्रदेश

प्रेरणा अभियान (परिवार कल्याण) के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां

11 जून से 10 जुलाई 2013 के मध्य संचालित किये जाने वाला प्रेरणा अभियान के सघन क्रियान्वयन की कार्ययोजना।

- लेप्रोस्कोप रिपेयर – संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, भोपाल से संपर्क कर आपके संभाग के लेप्रोस्कोप रिपेयर करवायें।
- के.एल.आई. रिंग, आई.यू.डी., ओरल पिल्स, निरोध की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आवश्यकता होने पर मांग भेजे।

- 11 जून से 10 जुलाई 2013 के मध्य 200 कॉपर–टी प्रति ब्लॉक, दो से चार कैंम्पों के माध्यम से सेवायें प्रदाय करें।
- 1–3 कैंप के माध्यम से 350 परिवार कल्याण ऑपरेशन प्रति ब्लॉक संपादित करें।
- इसी दौरान ओरल पिल्स के 800 नये उपयोगकर्ता तथा निरोध के 1600 नये उपयोग कर्ता प्रति विकास खण्ड बनाये जायेंगें।
- 100 प्रतिशत सेवा आवश्यकता पूर्ण करने वाले विकासखण्ड को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदाय किये जायेगें।

7/6/13
डॉ. पी.एन.एस.चौहान
डी.एम.एस.

प्रेरणा अभियान (परिवार कल्याण कार्यक्रम)

विषयः– पी आई पी वर्ष 2013–14 में प्रेरणा अभियान (परिवार कल्याण कार्यक्रम) से सम्बन्धित प्रस्तावित गतिविधियां (11 जुलाई 2013 से वर्ष भर निम्नानुसार कार्यक्रम कियान्वित किया जाये)

परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य के मध्य एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में संचालित किया जाना है। इसे विभाग द्वारा प्रेरणा अभियान का नाम दिया गया है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की समस्त गतिविधियॉ पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में कम से कम 3 साल का अन्तर रखने तथा पहले बच्चे के जन्म को स्थगित करने से मॉ एवं उसके बच्चे को स्वस्थ बनाये रखने में सहायक है। अतः इसे उसी रूप में विभाग ने संचालित करने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र Do.No.N.11012/6/2013-FP Dated 30 May 2013 के माध्यम से प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर गणना के पश्चात स्थायी एवं अस्थायी प्रेरित की सेवा आवश्यकता प्राप्त हुई है।

2/6/13

डॉ. पी.एन.एस चौहान
डी.एम.एस.

A वर्तमान स्थितिः–

प्रदेश की कुल जनसंख्या– 7,25,97,565
सकल प्रजनन दर (एस.आर.एस. 2011) – 3.1
सी.पी.आर. (ए.एच.एस. 2010) – 57 प्रतिशत् ।
अनमेट नीड– 22.4 प्रतिशत् ।
अनुमानित बच्चों का जन्म– 20 लाख 29 हजार ।
संस्थागत प्रसव– 13 लाख 19 हजार ।

B कार्ययोजना 2013–14:–

- ई.एल.ए.– अस्थायी साधन

– कुल आई.यू.डी. इनसरशन – 4,40,000
– पी.पी.आई.यू.डी. – 79,000
– 1 वर्ष के अंदर जन्म देने वाले माता
को लगाये जाने वाली आई.यू.डी. की संख्या– 2,37,000
– शेष अन्य– 1,24,000

- ई.एल.ए.– स्थायी साधन

– कुल परिवार कल्याण ऑपरेशन– 5 लाख।
– पोस्टपार्टम परिवार कल्याण – 52 हजार ।
– शेष अन्य – 4,48,000 ।

परिवार कल्याण ऑपरेशन	DH- 50 – daily CH- 56 – daily CHC – 333- 2 days/ week PHC – 2 days/ week
आई.यू.सी.डी.	3 days/week – DH – 50 – days/week & CH – 56- 2 days/week CHC – 333- 1 day/week SHC – 1 day/week

नोटः– अधिकतम परिवार कल्याण ऑपरेशन बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर किये जायें।

प्रदेश का टी.एफ.आर. 2.5 तक पहुंच सकता है एवं वर्तमान में टी.एफ.आर. घटने से प्रदेश का वर्क फोर्स प्रभावित नही होगा। क्योंकि वर्तमान में देश में विश्व का सबसे young work force उपलब्ध है।

डॉ. पी.एन.एस. चौहान
डी.एम.एम.

पी आई पी के अनुसार प्रेरणा योजना (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्न गतिविधियाँ की जायेगी।

- स्थायी प्रेरित के अन्तर्गत प्रदेश की 5,00000 सेवा आवश्यकता रखी गई है। अस्थाई प्रेरित के लिये पीपीआईयूसीडी एवं इन्टरवल आईयूसीडी 500000 रखी गई है। वर्तमान में प्रदेश की कुल प्रजनन दर 3.1 है। ये सेवाऐं गुणवत्तापूर्ण प्रदाय की जाये इस हेतु पैरीटी का ध्यान रखा जायेगा।

1. एक बच्चे वाले दम्पतियों को कॉपर टी की सेवाऐं प्रदाय की जायेगी।
2. दो बच्चे वाले दम्पतियें को कॉपर टी/आपरेशन की सेवाऐं प्रदाय की जायेगी।
3. तीन बच्चे वाले दम्पतियें को आपरेशन की सेवाऐं प्रदान की जायेगी।

- ओरियेन्टेशन वर्कशॉपः–परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यशाला तथा प्रत्येक संभाग स्तर पर एक–एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये। कृपया तिथि निर्धारित कर सूचित करें।
- महिला परिवार कल्याण शिविरः– जिला चिकित्सालय मे सप्ताह में एक बार फिक्स डे सर्विसेस प्रदाय की जायेगी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सप्ताह में एक बार फिक्स डे सर्विसेस प्रदाय की जायेगी।
- फिक्स डे कैम्प सर्विसेस मंगलवार एवं शुक्रवार को छोडकर निर्धारित किये जायेंगे। मंगलवार एवं शुक्रवार को अस्थाई साधनों के कैम्प आरोग्य केन्द्रों पर आयोजित किये जाये।
- परिवार कल्याण सेवाओं हेतु निजी संस्थाओं से अनुबंध करें एवं अनुबंधित संस्थाओं की सूची एक सप्ताह में भेजे।
- पी पी आई यू सी डी सर्विसेस– प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक या स्टाफ नर्स द्वारा जिला चिकित्सालयों पर सेवायें प्रदाय की जायेगी। इस हेतु परिवार कल्याण परामर्शदाता परामर्श प्रदाय करेंगे तथा हितग्राहियों से लिखित में सहमति प्राप्त करेंगें।
- संस्थागत प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं में से कम से कम 50 प्रतिशत प्रसूताओं को परिवार कल्याण सेवाओं का लाभ सेवा आवश्यकता/उपयुक्तता के अनुसार प्रदाय किया जाये।
- सोशल मार्केटिंगः– सभी ग्राम आरोग्य केन्द्रों एवं आशाओं के पास निरोध एवं ओरल पिल्स एवं प्रेगनेंसी किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।